राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–29 / 2024

अरूण कुमार गिरी बनाम् संझा देवी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–18.06.2024, दिनांक–10.09.2024, दिनांक–24.102024, दिनांक–03.12.2024, दिनांक–07.01.2025 तथा दिनांक–16.09.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनोदानन्द मिश्रा, श्री मृत्युंजय कुमार एवं श्री संजय कुमार उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी श्रीमती संझा देवी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित रहे। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से श्री राकेश कुमार झा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में चल एवं अचल संपत्तियों का गलत सूचना दर्ज किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी मधुबनी जिला अन्तर्गत पंडौल प्रखण्ड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–22 से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्या हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत विहित–प्रपत्र में सभी प्रत्याशियों को अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का सही सूचना देना आवश्यक होता है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में सही–सही सूचना अंकित नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा दो Tractor, दो ढ़ाला एवं एक Thrasher की सूचना छिपाई गई है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के परिवाद की जाँच जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा की गई तथा इसे सही पाया गया, जिसका प्रतिवेदन पत्रांक–1721 / जि0पं0, दिनांक–11.06.2024 से आयोग को प्राप्त है। पुनः इसकी विस्तृत जाँच जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा करायी गयी है, जिसमें उनके द्वारा पत्रांक–4098 / जि0पं0, दिनांक–02.12.2024 से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा Tractor संबंधी सूचनाओं को छिपाया गया है। अतः उनके द्वारा पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को लिखित जवाब में बताया गया है कि यह वाद बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1) के तहत अयोग्यता निर्धारण हेतु सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि **रजनी कुमारी वाद** के आलोक में आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का यह मामला Improper Acceptance of Nomination Paper से संबंधित है, जो कि पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–139(1)(d)(i) के अन्तर्गत आच्छादित है, जिसके लिए एक मात्र कानूनी उपाय उक्त अधिनियम की धारा–137 के तहत के तहत चुनाव याचिका है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा उक्त Tractor को चुनाव के पूर्व ही बेच दिया गया था, जिसके कारण उनके द्वारा उनका उल्लेख नामांकन–पत्र में नहीं किया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा चुनाव के तीन साल बाद वर्ष–2024 में उनके मुवक्किल को परेशान करने के मंशा से दायर किया गया है, जो गलत तथ्यों पर आधारित है, अंत में उनके द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आयोग द्वारा दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के लिखित एवं मौखिक Submission का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि श्री अरूण कुमार गिरी द्वारा आयोग में दिनांक–26.10.2023 के परिवाद–पत्र समर्पित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवादी के नामांकन–पत्र में दो Tractor, दो ढ़ाला, एक Thrasher एवं एक रोटावेटर का उल्लेख नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसकी जाँच जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुबनी सदर से करायी गयी, जिसमें परिवादी का दावा सत्य पाया गया। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1382, दिनांक–20.04.2024 द्वारा आयोग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

मिथ्या शपथ–पत्र/गलत सूचना/तथ्य को छुपाने के संबंध में बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(क)(3) में शास्ति(दंड) का प्रावधान है। अतः प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि यह मामला केवल बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–137 से आच्छादित है। यदि कोई व्यक्ति/अभ्यर्थी चुनाव को रद्द कराना चाहता हो, तो वह धारा–137 के तहत प्रदत्त कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है, परन्तु ऐसे व्यक्ति/अभ्यर्थी जिनकों मिथ्या शपथ–पत्र/गलत सूचना/तथ्य को छुपाने के लिए विजेता अभ्यर्थी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा हो, वह धारा–125(क)(3) के तहत संबंधित प्राधिकार/न्यायालय अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष अनुरोध कर सकते है।

कई मामलों में जहाँ आयोग द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्तियों के अधीन, जहाँ अभ्यर्थियों द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र/गलत सूचना/तथ्य को छुपाने का कार्य किया गया हो, के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया गया, तो माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रभावित पक्ष को सुनने के उपरांत आदेश/निर्णय देने का निदेश दिया गया है। अतः विचाराधीन मामले में भी परिवाद–पत्र प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्तियों के अधीन इसकी जाँच करायी गयी तथा प्रथम दृष्ट्या आरोप सही पाये जाने के उपरांत प्रभावित पक्ष, अर्थात् प्रतिवादी को अपने स्थिति एवं तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत अवसर प्रदान किये गये। अतः प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि यह मामला **रजनी कुमारी वाद** से आच्छादित है, क्योंकि आयोग द्वारा विचाराधीन वाद पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) के तहत सुनने के बजाय अपने प्रशासनिक शक्तियों के

अधीन नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत किसी कार्रवाई के पूर्व प्रभावित पक्ष अर्थात् प्रतिवादी को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्राथमिक प्रतिवेदन एवं साथ–साथ अंतिम प्रतिवेदन से भी यह प्रमाणित होता है कि संवीक्षा की तिथि को प्रतिवादी के नाम से Tractor मौजूद था, जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र (चल–अचल संपत्ति) में नहीं किया गया है। तथ्य के उजागर होने के उपरांत अपनी गलती स्वीकार करने के स्थान पर उनके द्वारा फर्जीवाड़े का सहारा लिया गया है, जिससे परिवादी का दावा वह गलत सिद्ध कर सके। किसी जनप्रतिनिधि का यह कृत्य अत्यन्त गंभीर एवं खेदजनक स्थिति का परिचायक है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पत्रांक–4098/जि0पं0, दिनांक–02.12.2024 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन आयोग के उक्त मंतव्य को संपुष्ट करते है, जो निम्नवत् हैः–

"जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रतिवादी श्रीमती संझा देवी, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या–22, पति–श्री मनोज चौपाल, ग्राम–मेघौल, प्रखण्ड–पंडौल द्वारा फर्जी चालान प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी द्वारा Ownership Transfer(RC Book) हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी में ना ही आवेदन किया गया ना ही चालान की राशि जमा की गई। इससे स्पष्ट है, कि उनके द्वारा तथ्य छुपाया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी का प्रतिवेदन स्पष्ट तथा तथात्मक है, जिससे अद्योहस्ताक्षरी सहमत है।"

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रतिवादी श्रीमती संझा देवी, प्रखण्ड पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–22, प्रखण्ड–पंडौल, जिला–मधुबनी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में चल–अचल संपतियों के संबंध में तथ्यों को छिपाते हुए, मिथ्या शपथ–पत्र के सहारे अपना नामांकन–पत्र दाखिल किया गया है, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(A)(1) का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण उक्त अधिनियम की धारा–125(A)(3) के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(क) अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी श्रीमती संझा देवी, प्रखण्ड पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–22, प्रखण्ड–पंडौल, जिला–मधुबनी के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 धारा–125(A)(3)(iii) तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(ख) प्रतिवेदन से प्रमाणित है कि अपने उपर लगे आरोपों को छुपाने के लिए उनके द्वारा फर्जीवाड़ा यथा फर्जी चालान आदि का सहारा लिया गया है। अतः जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन उक्त जालसाजी एवं फर्जीवाड़े हेतु अलग से विधिक कार्रवाई अपेक्षित है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–29/2024 202 पटना, दिनांक 15.1.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधुबनी**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी** को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी को** आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को दो सप्ताह के अन्दर अवगत कराने हेतु कार्रवाही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए।

15/01/26
विशेष कार्य पदाधिकारी